Philosophy

Explore – Journal of Research for UG and PG Students

ISSN 2278 – 0297 **(Print)**

ISSN 2278 – 6414 **(Online)**

© Patna Women's College, Patna, India

http://www.patnawomenscollege.in/journal

ऑनर किलिंग : एक नैतिक विवेचना

नीलम कुमारी • सिम्पी कुमारी • ज्योति राज
• अमिता जायसवाल

Received : December 2010
Accepted : February 2011
Corresponding Author : Ameeta Jaiswal

Abstract : *आधुनिक युग में ऑनर किलिंग नदी की बाढ़ की तरह बढ़ती जा रही है। आज व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने संतान की हत्या कर देते है। ऑनर किलिंग का मुख्य कारण जाति को माना जाता क्योंकि बहुत से व्यक्ति जाति प्रथा को बहुत महत्वपूर्ण मानते है और यदि उनकी संतान अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा समाज में गिर गई है जिसके कारण वह अपने संतान की हत्या कर देते हैं।*

ऑनर किलिंग ज्यादातर परिवार के द्वारा तब किया जाता है जब शादी से पहले लड़की गर्भवती हो जाए, अपने माता-पिता की इच्छा के विरूद्ध विवाह करे, या अपनी ही जाति या अलग जाति के चचेरे भाई से विवाह संबंध स्थापित करे तो ऐसे मामले में परिवार के सदस्य अपनी संतान की हत्या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर देते हैं। The United Nations Population Fund (U.N.P.F.) *के अनुसार पूरे विश्व में ऐसी हत्याओं के पीड़ितों की संख्या हर साल* 5000 *से ज्यादा है।*

हमने इस शोध कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों से बात-चीत की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नैतिक दृष्टिकोण से यह प्रथा अनुचित है । जो व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अपने संतान की हत्या करते हैं वे अपराध करते है। संतान को मृत्युदण्ड देने का अधिकार उन्हें नहीं हैं। अत: जो लोग इसे उचित मानते है उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी।

Key words:– *रूढ़िगत, नैतिक, अशुभ, उचित, साध्य ।*

नीलम कुमारी
B.A. III year, Philosophy (Hons.), Session: 2008-2011,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

सिम्पी कुमारी
B.A. III year, Philosophy (Hons.), Session: 2008-2011,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

ज्योति राज
B.A. III year, Philosophy (Hons.), Session: 2008-2011,
Patna Women's College, Patna University, Patna,
Bihar, India

अमिता जायसवाल
Head, Department of Philosophy,
Patna Women's College, Bailey Road,
Patna – 800 001, Bihar, India
E-mail : ajphilpwc@gmail.com

परिचय :

व्यवहारपरक नीतिशास्त्र (Applied Ethics) आज सामाजिक जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए उनकी नैतिक दृष्टिकोण से समीक्षा कर रहा है ताकि व्यवहारिक स्तर पर इन समस्याओं का नैतिक रूप से समाधान हो सके । वर्त्तमान युग में व्यवहापरक नीतिशास्त्र को दार्शनिक विचारों के केन्द्र में रखा गया है और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह राजनीति हो अथवा अर्थशास्त्र, कानून हो अथवा शिक्षा, पर्यावरण हो या चिकित्सा अथवा किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, इसके विचारों एवं निष्कर्षों को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है ।

इसी के अंतर्गत हमने ऑनर किलिंग की समस्या के अध्ययन का प्रयास किया है । परिवार की प्रतिष्ठा के नाम होने वाले इस जघन्य अपराध की बौद्धिक एवं समीक्षात्मक विवेचना करना आवश्यक है । ऑनर किलिंग की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनर किलिंग की घटनाएँ अधिक होती हैं । यदि लड़की पिता की अवज्ञा करे अथवा उनकी मर्जी के विरुद्ध किसी दूसरे गोत्र या जाति के लड़के से शादी कर ले तो अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के नाम पर परिवार के लोग बेटी की हत्या करने का फैसला लेते हैं । अंतर-जातीय विवाहों की संख्या बढ़ने के कारण भी रूढ़ीगत हत्या की संख्या बढ़ रही है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जाति व्यवस्था धीरे-धीरे सामाजिक बुराई के रूप में परिवर्तित हो रही है। साथ ही साथ, यह भी देखा जा रहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हत्या अधिक हो रही है। यहाँ भी लैंगिक असमानता ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है। ऑनर किलिंग ज्यादातर परिवार की लड़कियों के साथ ही होता है जब वे शादी से पहले गर्भवती हो जाती हैं अथवा माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे गोत्र या जाति में विवाह कर लेती हैं । राजस्थान, यू० पी० और बिहार में इस प्रकार की घटनाएँ बढ़ती ही जा रही है । आज जब लड़के और लड़कियों के बीच समान अधिकार की बातें हो रही है, तब लड़कियों की इस प्रकार निर्मम हत्या कर देना क्या उचित होगा?

इसी उद्देश्य से यह शोध कार्य को संपन्न किया गया है। ऑनर किलिंग को उचित मानने वाले यह समझते है कि उन लोगों ने जिन्होनें परिवार की बेईज्जती की है, उनके लिए हत्या ही एकमात्र न्याय है। जब कोई वस्तु/कार्य हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो हम उसे शुभ मानते हैं । उदाहरणार्थ जब हम परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो यहाँ हत्या उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि हत्या करने वाले व्यक्ति मानते हैं कि इससे परिवार की प्रतिष्ठा बच जाएगी परन्तु यह कार्य सामाजिक/निजी स्वार्थपूर्त्ति की दृष्टि से भले ही उचित प्रतीत हो किन्तु प्राकृतिक न्याय (law of natural justice) / कुदरती न्याय की दृष्टि से सर्वप्रकारेण अनुचित है/निंदनीय है । मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह भली-भाँति सोच विचार कर किसी उचित आदर्श की पूर्ति के लिए ही कर्म करे । मनुष्य को अशुभ कर्मों का चुनाव नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की हत्या करना कदापि एक उचित कर्म नहीं हो सकता है। अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी ऐसा करना उचित नहीं है। यदि ऑनर किलिंग के समर्थक यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या करना उचित है तो यह गलत सोच है, क्योंकि साधन अनुचित है। यह कैसी हास्यापद बिडंबना है कि विकासशीलता और आधुनिकता के इस युग में भी ऑनर किलिंग बड़े पैमाने पर हो रही है जबकि हत्या एक अपराध है?

जिन्दगी विधाता का अनमोल वरदान है । उसे किसी के अहं-पूर्त्ति जैसे क्षुद्र स्वार्थ के लिए मिटा देना कभी भी न्याय संगत एवं तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता । दर्शनशास्त्र के शोधार्थी के नाते हमें विरासत में यही सारस्वत संस्कार मिला है कि हिंसा से बड़ा पाप हो ही नहीं सकता । कोई भी इंसान त्रुटिहीन नहीं हो सकता । इंसान से भूलें होती रहीं हैं, आगे भी होती ही रहेंगी । भूलों को सुधारा जा सकता है। एकमात्र हत्या इसका हल नहीं है इसलिए चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को मृत्यु-दंड देने का अधिकार किसी को भी नहीं है ।

उद्धेश्य :

इस शोध कार्य से हम यह जानना चाहते है कि क्या ऑनर किलिंग अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उचित कर्म माना जाएगा ?

इस शोध कार्य करने का हमारा उदेश्य यह भी जानना है कि ऑनर किलिंग का वास्तविक कारण क्या है? लोगो की ऑनर किलिंग के प्रति क्या मानसिकता है तथा लोग ऐसे घृणित अपराध कैसे करते हैं ?

नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता के सन्दर्भ में निष्कर्ष निकालना ।

विधि :

इस शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिए हमने प्रश्नावली के माध्यम से 30 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया और उनके विचारो की जानकारी ली । हमने किताबें, मैगजिन, समाचारपत्र तथा इंटरनेट से भी सामाग्री इकत्रित की और इस शोध कार्यो को सम्पन्न किया।

प्रश्नावली :

1. नाम :
2. उम्र :
3. लिंग :
4. व्यवसाय :
5. क्या माता-पिता के लिए बच्चों की खुशी सर्वोपरी है?
6. क्या परिवार के सम्मान के लिए अपनी संतान की हत्या भी कर सकते हैं?
7. क्या आपके बच्चों का अपराध इतना बड़ा है कि आप उसे मौत की सजा दें?
8. क्या माता-पिता की प्रतिष्ठा उनकी संतान से बढ़कर होती है?
9. क्या हत्या इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि संतान ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया?
10. क्या शादी के पहले यदि लड़की गर्भवती हो जाए तो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उसकी हत्या कर देना उचित है?
11. यदि संतान अपने माता-पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ा नहीं सकता तो क्या उसे घटाने का कोई अधिकार है? यदि हाँ तो क्यों?
12. क्या संतान का अपने परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं हैं?
13. क्या संतानों के लिए अपने संस्कारों को भूलकर अपने माता-पिता का अपमान करना उचित है या नहीं? अगर ऐसा है तो क्यों? यदि नहीं है तो क्यों नहीं?
14. यदि माता-पिता अपनी संतान की हत्या कर दे तो क्या समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी?
15. क्या रूढ़ीगत हत्या करने से समाज विकसित होगा?
16. क्या हमें रूढ़ीगत हत्या के प्रति अपने सोच को बदलना चाहिए?
17. क्या संतान को अपने संकल्प की स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं?
18. क्या संतान को भी अपने माता-पिता के द्वारा दिए गए संकल्प की स्वतंत्रता (Freedom of will) का गलत दिशा में प्रयोग करना चाहिए?
19. क्या किसी की हत्या करके समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है?
20. क्या रूढ़िगत हत्या को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ या नहीं?

अनुसंधान :

अनुसंधान कार्य हेतु हमने 30 लोगों से प्रश्नावली और साक्षात्कार किया। जिसमें प्रत्येक वर्ग तथा हर उम्र के लोग आते हैं।

पाँचवे प्रश्न के अनुसंधान से हमें पता चला है कि 30 में 26 व्यक्ति ने माना है कि बच्चों की खुशी माता-पिता की खुशी के लिए सर्वोपरि है तथा 4 लोगों ने इस बारे में अपना मत नहीं रखा है।

छठा प्रश्न के उत्तर में 28 लोगों ने माना है कि परिवार के सम्मान के लिए बच्चों की हत्या नहीं करनी चाहिए, परन्तु दो लोगों ने हत्या को उचित माना।

सातवें प्रश्न में 30 लोगों ने माना कि बच्चों का अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उसे मौत की सजा देनी चाहिए।

आठवें प्रश्न में 24 लोगों ने यह माना कि माता-पिता की प्रतिष्ठा उसके संतान से बढ़कर नहीं होती है और 6 लोगों ने माना है कि होती है।

नौवें प्रश्न में 30 लोगों ने माना है कि यदि संतान ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए।

दसवें प्रश्न में 25 लोगों ने माना कि शादी से पहले यदि लड़की गर्भवती हो जाए तो उसे नहीं मारना चाहिए और 5 लोगों ने माना है कि मार देना चाहिए।

ग्याहरवें प्रश्न में 30 लोगों ने माना है कि यदि संतान अपने माता-पिता की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकता तो उसे घटाने का भी कोई अधिकार नहीं है।

बारहवें प्रश्न में 28 लोगों ने माना है कि संतान का अपने परिवार के प्रति दायित्व है । परन्तु दो व्यक्तियों ने उसे नहीं माना है ।

तेरहवें प्रश्न में सभी 30 लोगों ने माना है कि संतान को अपने संस्कार को भूलकर अपने माता-पिता का अपमान नहीं करना चाहिए।

चौदहवें प्रश्न में 30 लोगों ने माना है कि संतान की हत्या कर देने से उनकी प्रतिष्ठा नहीं बनी रहेगी।

पन्द्रहवें प्रश्न में 25 लोगों ने माना है कि रूढ़ीगत हत्या करने से समाज विकसित नहीं होगा पर पांच लोगों ने यह माना है कि समाज विकसित होगा।

सोलहवें प्रश्न में 26 लोगों ने माना है कि रूढ़ीगत हत्या के प्रति हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए परन्तु 4 लोगों ने इसे नही माना है।

सत्रहवें प्रश्न में 21 व्यक्तिों ने माना कि संतान को अपने संकल्प की स्वतंत्रता है पर 09 लोगों के अनुसार संतान को अपने संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है।

अठारहवें प्रश्न में सभी लोगों ने माना है कि अपने माता-पिता के द्वारा दिए गए संकल्प की स्वतंत्रता का गलत दिशा में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

उन्नीसवें प्रश्न में 26 लोगों ने माना है कि हत्या करके समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता और 04 व्यक्तियों ने माना है कि हो सकता है।

बीसवें प्रश्न में 26 लोगों ने माना है कि रूढ़िगत हत्या को बढ़ावा नहीं देना चाहिए परन्तु 4 लोगों ने इसे उचित माना है।

अतः प्रश्नावली तथा साक्षात्कार विधि के द्वारा प्राप्त उत्तर का अध्ययन करने पर हमने देखा कि 30 लोगों में अधिकतर लोग रूढ़िगत हत्या को गलत मानते है।

निष्कर्ष और सुझाव :

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते है कि ऑनर किलिंग एक घृणित अपराध है और समाज में ये अपराध बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। शिक्षित और विकासशील देश होने के बावजूद भी आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो रूढ़िगत हत्या को उचित मानते है जो कि गलत है । पुरूषों की अपेक्षा महिलाऐं इस अपराध की ज्यादा शिकार होती हैं। अतः हमारा सुझाव है कि समाज में हो रहे इस घृणित अपराध को रोकने के लिए समाज के सभी व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने संतान की हत्या कर देते है उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । क्योंकि किसी भी अपराध के लिए मृत्यु को उचित नहीं माना जाएगा । मानवाधिकार के तहत् भी ऑनर किलिंग को अनुचित माना जाता है तथा इसका बहिष्कार किया जाता है। माता-पिता बच्चों को जन्म अवश्य देते हैं मगर उनकी हत्या करने का अधिकार उन्हें नहीं है। जिन्दगी विधाता का अनमोल वरदान है। उसे किसी के अहं-पूर्त्ति जैसे क्षुद्र स्वार्थ के लिए मिटा देना कभी भी न्यायसंगत एवं तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प की स्वतंत्रता है और यदि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी से विवाह कर लेता है तो इसके लिए उसे अपराधी घोषित कर मृत्यु दंड देना बिल्कुल ही उचित नहीं माना जाएगा । अतः किसी भी परिस्थिति में ऑनर किलिंग को उचित नहीं माना जाएगा । ऐसे लोगों को अन्य किसी भी प्रकार का दंड देना अनुचित नहीं होगा, परन्तु उनकी हत्या कभी भी मान्य नहीं होगी ।

References :

Books :

Jha Prof. Anirudha (1994). Fundamental theory of Ethics Motilala Banarsidas, Delhi.

Pathak Dr. Divakar (1994). Indian Ethics, Bihar Hindi Grantha Academy, Patna.

Sinha, Jadunath (2004). New Central Book Agency (P) Ltd., 8/1 Chintamoni Das Lane, Kolkata-700 009.

Tiwari Kedarnath (1998). Classical Indian Ethical thought Motilal Banarsidas, Delhi.

Journals :

Devi, K. Uma (1998). Human Right or Women's Right-A Review, Supreme (Court Journal), Vd Part-I, Orient Law House (New Delhi).

Devi, K. Vimla (1998). "Women Criminal Law" a paper presented in the UGC sponsor workshop on Human Rights Laws organized by University College of Law, Kakatiya University, Warangal held from 4-8 Dec.

Magazines :

Jacab Dr. Reny (April-June-2010) Vikasini (The Journal Women's Empowerment).

K. Singh Dr. Rakesh (July September – 2010) Women's link.

Internet :

www.google.co.in (Honour Killing) dated 10.11.2010, 13.11.2010, 14.11.2010, 16.11.2010.